यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01** के माह 10/2016 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री शरत श्रीवास्तव, श्री संतोष कुमार गुप्ता सहायक लेखा परीक्षा अधिकारीयों** द्वारा दिनॉक 08.06.2018 से 18.06.2018 तक श्री **सुनील कल्ला**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

परिचयात्मकः– इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री दीपेश कुमार, श्री रामवीर सिंह स0 ले0 प0 अधिकारियों एवं श्री सलीम खान व0 ले0 परीक्षक द्वारा श्री डी0 एन0 मिश्रा वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 के बीच संपादित किया गया। इस लेखा परीक्षा में 08/2015 से 09/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच की गई।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

कार्यालय कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं अधिक के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित करना है। इसके अतिरिक्त स्टील एवं आरसीसी सेतु का भी निर्माण किया जाता है। कार्यालय का कार्य क्षेत्र देवाल, थराली, नारायनबगड़ एवं गैरसैण है।

(ii) (अ) विगत **तीन** वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैरस्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	--	107.87	94.15	92.54	3595.89	3219.51	–	1.61	–	484.25
2016–17	--	202.13	101.05	89.34	4155.12	3732.40	–	11.71	–	624.85
2017–18	--	15.93	132.30	88.58	5684.85	3980.82	–	43.71	–	1719.96

नोटः 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को **स्थापना मद के अवशेष** बजट का सर्मपण URRDA को किया गया।

2. गैर-स्थापना मद मे वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई राशि:- वर्ष 2015-16: रु. 282.12 लाख, वर्ष 2016-17: रु. 608.92 लाख, वर्ष 2017-18: रु. 1332.46 लाख

3. स्थापना मद मे वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई राशि:- वर्ष 2015-16: रु. 1.61 लाख, वर्ष 2016-17: रु. 11.71 लाख, वर्ष 2017-18: रु. 43.71 लाख

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड एवं एडमिनिस्ट्रेटिव फंड		3291.83	3015.21	-	276.62
2016–17			3630.58	3499.42	-	131.16
2017–18			4836.06	3529.93	-	1306.13

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रोग्राम फंड (पीएमजीएसवाई) मद में केंद्र से प्राप्त होता है एवं अनुरक्षण, स्थापना, आपदा एवं क्षतिपूर्ति मद मे राज्य सरकार से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना एवं स्थापना ब्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई “A” श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन

⇩

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआरआरडीए

⇩

मुख्य अभियंता यूआरआरडीए

⇩

मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र

⇩

मुख्य अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, गोपेश्वर

⇩

अधीक्षण अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, गोपेश्वर

⇩

अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई,
RES, जखोली रुद्रप्रयाग

⇩

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई, सिंचाई खंड, जखोली रुद्रप्रयाग

⇩

कार्यालयी विभागीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारी पीएमजीएसवाई, सिंचाई खंड, जखोली रुद्रप्रयाग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह मार्च 2018** को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

<u>भाग दो -"ब"</u>

प्रस्तर 1:- 23 विलंब से पूर्ण हुए निर्माण कार्यों मे ₹ 65.91 लाख कम एलडी (Liquidated Damages) की वसूली।

अनुबंध के मानक निविदा दस्तावेज़ (Standard Bidding Document एसबीडी) के बिन्दु संख्या-20(C) के अनुसार नियोक्ता द्वारा कार्य पूर्ण होने मे निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने अर्थात विलंब होने पर अनुबंध मूल्य के 1% प्रति सप्ताह की दर से LD (Liquidated Damages) आरोपित किया जाएगा, जो कि अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा, और इन दोनों मे से जो भी कम हो, उसे आरोपित किया जाएगा। कार्यपूर्ति दिवस मे अधिकता को अभियंता द्वारा प्रामाणिक कारणों से बढ़ाया जा सकेगा। अन्यथा, अभियंता द्वारा निर्णीत हर्जाने (एल डी) को अगले भुगतान प्रमाण पत्र (payment certificate) से समायोजित किया जाएगा [एसबीडी 44.2]। एलडी के संबंध मे नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा [एसबीडी 44.3]।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), कर्णप्रयाग-1 में 2015-16 से 2017-18 के दौरान किए गए 23 निर्माण कार्यों (फेज-VI से फेज-XIII) की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्य 179 दिनों से 2025 दिनों तक के विलम्ब से हुए थे जिस पर इकाई को नियमानुसार न्यूनतम 1% की दर से एलडी कटौती की वसूली ठेकेदार के अंतिम बिलों से करनी थी, परंतु इकाई द्वारा मात्र 0.2 % की दर से ₹ 9.61 लाख एलडी की कटौती की गई जबकि एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध लागत के न्यूनतम एक प्रतिशत की दर से ₹ 75.51 लाख की कटौती ठेकेदारों के देयकों से की जानी थी। इस प्रकार कुल 23 कार्यों मे ₹ 65.91 लाख कम एलडी की कटौती की गई जबकि एलडी की वसूली एक प्रतिशत की दर से किए जाने हेतु शासन/उच्चाधिकारियों से भी निर्देश इकाई को प्राप्त हुए परंतु इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया जिससे सरकारी हितों को नुकसान पहुंचा है। (संलग्नक-A)

लेखा परीक्षा द्वारा एसबीडी में उल्लेखित न्यूनतम एक प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.2 प्रतिशत की कटौती किए जाने का आधार पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि ठेकेदारों के अनुरोध एवं कार्य कि जटिलताओं के कारण एक प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.2 प्रतिशत की दर से एलडी की कटौती की गई कार्य मे हुए व्यवधान के कारण समयवृद्धि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है, जिसमे ठेकेदार की कोई गलती नहीं है जिसके कारण एलडी की कटौती नहीं की गई है। यदि ठेकेदार की गलती से व्यवधान होता है तो नियमानुसार कटौती की जाएगी। इकाई का उत्तर विरोधाभासी है क्योंकि यदि ठेकेदार की कोई गलती नहीं थी तो प्रथमतः 0.2 प्रतिशत की दर से भी कटौती किए जाने का कोई औचित्य नहीं था और दूसरे स्वीकृत समयवृद्धि के किसी भी प्रकरण को लेखापरीक्षा ने अपने गणना मे शामिल नहीं किया है। वस्तुतः गणना केवल उन्ही प्रकरणों में न्यूनतम एलडी की गई है जिसमे स्वयं इकाई ने एलडी आरोपित किया है। अतः इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं।

इस प्रकार 23 विलंब से पूर्ण हुए निर्माण कार्यों मे ₹ 65.91 लाख की कम एलडी (Liquidated Damages) की वसूली का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure-"A"

Liquidated Damages (phase VI- phaseXIII) effected till Macrh 2018 by office of the E.E., RWD (PMGSY), Karanprayg-1

क्र संख्या	योजना का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलंब हुए दिनों की संख्या	अनुबंध की लागत (Rs Lakh)	इकाई द्वारा आरोपित एलडी की दर %	इकाई द्वारा आरोपित एलडी (Rs.)	नियमानुसार 1% की दर से न्यूनतम एलडी की राशि (Rs.)	एलडी की कम कटौती की गई राशि (रु.)
1	घेष बलाण मोटर मार्ग स्टेज-1	20.03.2010	19.01.2011	20.05.2016	1948	302.41	0.0020833	63053.00	302410	239357.00
2	मलगुड़-मज्याडी मल्ली मोटर मार्ग स्टेज-1	10.02.2014	09.02.2015	03.12.2015	297	230.09	0.0020833	23009.00	230090	207081.00
3	थराली किमनी मोटर मार्ग	01.11.2013	30.10.2014	25.10.2015	360	153.02	0.0020833	15302.00	153020	137718.00
4	घेष बलाण मोटर मार्ग के किमी 05 में 48 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु	03.03.2011	02.03.2012	05.05.2016	1525	130.75	0.0020833	13075.00	130750	117675.00
5	डुंग्री-रतगाँव मोटर मार्ग के किमी 05 में 36 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु	15.01.2011	14.01.2012	31.07.2017	2025	113.98	0.0020833	73346.00	113980	40634.00
6	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग के किमी 10 में 36 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु	17.06.2011	16.06.2012	31.03.2015	1018					
7	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग के किमी 06 में 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु	17.06.2011	16.06.2012	31.03.2015	1018	259.72	0.0020833	51944.00	259720	207776.00
8	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग के किमी 15 में 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु	17.06.2011	16.06.2012	31.03.2015	1018					
9	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग स्टेज -2	31.03.2013	30.09.2014	15.12.2016	807	1126.82	0.0020833	115665.00	1126820	1011155.00
10	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग के किमी 25 में 18 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु	18.05.2013	17.05.2014	08.12.2016	936	204.41	0.0020833	22819.00	204410	181591.00
11	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग के किमी 24 में 18 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु	18.05.2013	17.05.2014	08.12.2016	936		0.0020833		0	0.00
12	नारायणबगड़-कर्णप्रयाग मोटरमार्ग के किमी0 3 से किमोली स्टेज-2	07.12.2013	06.05.2015	01.05.2017	726	853.62	0.0020833	94412.00	853620	759208.00

13	थराली कुराड़ मोटर मार्ग स्टेज-2	24.06.2013	25.12.2014	21.06.2015	178	678.33	0.0020833	71908.00	678330	606422.00
14	परखाल-डुगरी मोटर मार्ग स्टेज-2	03.05.2013	02.08.2014	30.11.2016	851	110.32	0.0020833	86796.00	110320	23524.00
15	सागवाड़ा-पार्थकुनी मोटर मार्ग स्टेज-2	31.05.2013	30.08.2014	15.05.2017	989	110.24	0.0020833	4630.00	110240	105610.00
16	नंदकेसरी ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी 1 से जौला मोटर मार्ग स्टेज-2	08.06.2013	07.09.2014	18.06.2015	284	462.59	0.0020833	48052.00	462590	414538.00
17	ल्वाणई सुइया मोटर मार्ग स्टेज-2	01.11.2013	31.10.2014	28.04.2015	179	262.91	0.0020833	52582.00	262910	210328.00
18	घेष बलाण मोटर मार्ग के किमी 08 में 48 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु	19.09.2013	18.09.2014	28.03.2018	1287	130.75	0.0020833	37277.00	130750	93473.00
19	सिमली सणकोट मोटर मार्ग के किमी 01 मे 30 मी स्पान स्टील गार्डर सेतु	10.02.2014	09.02.2015	31.12.2015	325	135.82	0.0020833	13582.00	135820	122238.00
20	कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग के किमी 02 पर 48 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु	01.11.2013	31.10.2014	30.04.2016	547	239.68	0.0020833	23968.00	239680	215712.00
21	नारायन बगड़ भगोती मोटर मार्ग किमी 10 से झिंझोड़ी मोटर मार्ग	26.09.2014	25.03.2016	30.07.2017	492	700.00	0.0020833	35000.00	700000	665000.00
22	सुगरबैन्ड से सिलपाटा मोटर मार्ग स्टेज-1	15.09.2014	18.03.2016	11.10.2017	572	937.05	0.0020833	93705.00	937050	843345.00
23	धुनारघाट से डागा मोटर मार्ग स्टेज-1 & स्टेज-2	18.09.2014	17.12.2015	18.12.2016	367	409.02	0.0020833	20451.00	409020	388569.00
						7551.53		**960576.00**	**7551530**	**6590954.00**

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 2:- विभिन्नता विवरण या अतिरिक्त मदों की स्वीकृति के बिना कल्वर्ट निर्माण में ₹ 73.16 लाख का अनियमित व्यय।

नारायनबगर ममोती मोटर मार्ग के किमी 10 से झिझोड़ी मोटर मार्ग स्टेज-1 के निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 मे रु 637.76 लाख (निर्माण) हेतु प्राविधिक स्वीकृत की गयी थी, इन कार्यो को सम्पन्न करने हेतु एकल निविददाता द्वारा दी गयी दर ₹ 700.00 लाख (निर्माण), के आधार पर अनुबंधसं0-25/एस0ई0-पीएमजीएसवाई/2014-15 दिनांक 26.09.2014 को ₹ 700.00 लाख का अनुबंध गठित किया था। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण लागत मे ₹ 112.41 लाख का क्रास ड्रैनेज का कार्य था, जिसमे 12 मीटर स्पैन आरसीसी के ब्रिज का निर्माण भी शामिल था।

अभिलेखो (भुगतान बिल बाउचर एवं माप पुस्तिका) की जांच करने पर पाया गया कि इकाई द्वारा 12 मीटर स्पैन आरसीसी के ब्रिज की जगह कल्वर्ट का निर्माण किया गया। जिस पर निम्न प्रकार व्यय किया गया:-

उपयोग किये सामग्री की मात्रा (In Cu ₒm)	कार्य मद का नाम	दर	कुल व्यय की गयी राशि
178.50	Earthwork in Excavation for structure as per drawing etc.	200.00	35700.00
41.93 1050.30	Nomina mix 1:3:6	5500.00 6341.76	230615.00 6660687.51
6.71	Providing and laying reinforced cement concrete in superstructure as per drawing etc.	7500.00	50325.00
57.23	In cement mortar (1:5)	4000.00	228920.00
72.90	Backfilling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing etc.	500.00	36450.00
12.17	Supplying fitting and placing MS bar reinforced in superstructure complete as per drawing etc.	6050.00	73628.50
	Total amount Rs.		**73,16,326.01**

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि सर्वेक्षण के समय जिस स्थान पर पुल प्रस्तावित था, उस स्थान पर ग्रामीणो द्वारा निजी भवन एवं गौशाला बनाये जाने के कारण बची जगह पर आरसीसी ब्रिज की जगह कल्वर्ट बनाया गया। तथा आरसीसी 1:3:6 मे ₹ 66.60 लाख कि धनराशि पुलिया शीर्ष की धनराशि न होकर भू धसाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य किया गया था। तथा पुलिया निर्माण की लागत ₹ 6.55 लाख थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, यदि इकाई द्वारा किन्ही कारणों से आरसीसी ब्रिज की जगह कल्वर्ट बनाना पड़ा, तो उन मदों का विभिन्नता विवरण या अतिरिक्त मदों के रूप मे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति करवाया जाना चाहिये था। प्राविधिक स्वीकृति/अनुबंध मे दर्शाई गई मदों से इतर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के ₹ 73.16 लाख का व्यय पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश के विपरीत था।

अतः विभिन्नता विवरण या अतिरिक्त मदों की स्वीकृति के बिना कल्वर्ट निर्माण मे ₹ 73.16 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 3:- प्राविधिक स्वीकृति एवं निविदा की दरो मे अंतर के कारण ठेकेदार को ₹ 34.18 लाख का अधिक भुगतान।

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 318 मे यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत आगणन तेयार कर सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना चाहिये। यह स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के रूप मे होगी। इसकी गणना पूर्णतया वास्तविक और सही आंकड़ो पर आधारित होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज 8 मे देवाल खेता मोटर मार्ग जिसकी लंबाई 25 कि० मी० है, के स्टेज 2 के निर्माण कार्य हेतु माह 10/2010 मे ₹ 630.15 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 65.83 लाख तथा कि० मी० 21 पर 48 मी० स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु ₹ 148.47 लाख अर्थात कुल ₹ 778.62 लाख निर्माण हेतु एवं ₹ 65.83 लाख अनुरक्षण हेतु की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रधान की गयी थी।

इस कार्य के लिए इकाई द्वारा निविदाये आमन्त्रित की गयी तथा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा इस कार्य के लिए अनुबन्ध सं० 16 /SE/PMGSY/ADB/2010 दिनाक 15.01.2011 गठित किया गया। अनुबन्ध की राशि ₹ 631.49 लाख निर्माण कार्यो के लिए तथा अनुरक्षण की राशि ₹ 26.33 लाख थी।

लेखापरीक्षा के दौरान निविदा मूल्य/शेड्यूल ब तथा प्राविधिक स्वीकृति (Technical Sanction)मे अनुमोदित किए गए दर की तुलना करने पर पाया गया कि शेड्यूल ब मे दर्शाये गए कई कार्यो के मदो के निविदा मूल्य की दर,प्राविधिक स्वीकृति मे दिए गए दर से अधिक दर्शाये गए थे जिस कारण कई मदों मे ठेकेदार से अनुबंध भी अधिक दरो पर किया गया था। आगे यह भी सज्ञान मे आया कि ठेकेदार द्वारा भी उन मदो पर अपने बीजको मे अधिक दर से दावा किया तथा इकाई द्वारा अधिक दरोपर ही भुगतान भी किया गया जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 34.18 लाख का अधिक भुगतान किया गया था। **(मदवार विवरण संलग्न)**

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया निविदा स्वीकृति डीपीआर एवं पैकेज की दरो पर ही आमंत्रित की गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, प्राविधिक स्वीकृति मे अंकित दर निविदा मे दर्शाई गयी दर से भिन्न है **(संलग्नानुसार)**। जिस कारण ठेकेदार को बढ़ी दरो पर ₹ 34.18 लाख का भुगतान किया गया।

अतः प्राविधिक स्वीकृति एवं निविदा की दरो मे अंतर के कारण ठेकेदार को ₹ 34.18 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

सनलंगनक

. No	Item of work	Rate approved as per TS (BOQ)	Rate shown in schedule B (bid document)	Total quatity executed by contractor	Actual amount due	Amount paid	Excess amount paid
1	Granular sub base / Base/Surface course with local material by mix in place method normal construction granular sub base by providing local material spreading in uniform layer on prepared surface and compacting with smooth wheeled roller to achieve the desired density GSB as per clause 401.4 Technical specification clause 408(i) 25 kms	902	904	25980 Cum	23433960	23485920	51960
2	Providing laying spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing rolling with smooth wheel roller 80-100kn in stages to proper grading and camber applying and brooming stone screening to fill up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 3 as per technical specification clause 405	1173	1564	5873.73	6889885.29	9186513.72	2296628.43
3	Providing and applying primer coat with bitumen on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0 kg/sqm using mechanical as per Technical specification clause 502	33.80	34.20	78319.94 sqm	2647213.97	2678541.95	31327.97
4	Providing, Laying and rolling of open graded premix carpet of 20mm thickness composed of 13.2mm to 5.6mm aggregate either using penetration grade bitumen to required line grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base including mixing in a suitable plant, laying and rolling	141.00	142.40	78319.94 sqm	11043111.54	11152759.46	109647.92

	with a three wheel 80-100 kn static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either type A or Type B or Type C as per Technical specification Cluase 508						
5	Providing and laying seal coat sealing the voids in a bituminous surface laid to the specified levels,grade and cross fall unsign type A as per Technicl Specification Clause 510	61	61.50	78319. 94 sqm	4777516.3 4	48166 76.31	39159.9 7
6	Providing and erecting a W metal beam crash barrier comprising of 3mm thickness corrugated sheet metal beal rail 70cm above road/ground level. Fixed on ISMC series channel vertical post of 150x75x75 mm spaced 2 mtcentre to centre 1.80 mt high, 1.10 mt below ground level/road level. All steel parts and fitments to be galvanised by hot dip processes all fittings should be confirm to IS 1367 and IS 1364 metal beam rail to be fixed on a vertical post with a spacer or channel section 150x75x75 mm, 330mm long complete as per clause 810 including cost of excavation and CC 1:2:4 for fixing of channel parts	3111	3500	746.30 RM	2321739.3 0	26120 50.00	290310. 70
7	Providing and fixing title information board with PMGSY Logo at the site as per standard drawing duly painted and written as directed by engineer in charge including supply of all labour, material T&P etc. required for proper completion of work. 1 to 25 kms	5000	5495	-	-	-	-
	48 Mt Span steel girder bridge						
8	Earthwork in foundation for abutment, wing wall etc in all types of soils and rocks met at site including all lead, lifts and safe disposal of surplus excavated material as directed by Engineer-in-charge including dewatering during excavation	113.85	114	697.33	79391.02	79495. 62	104.59
9	Cement concrete work1:3:6	3219	3227	132.13	425326.47	42638	1057.04

	cement approved coarse sand and 40 mm Gauge hard stone ballast in foundation including cost of all material labour and T&P etc.					3.51	
10	Reinforcement Concrete workwith 1 part cement, 2 part coarse sand and 4 parts of approved hand stone ballast in bed block excluding supply of reinforcement and its bending but including its fixing and binding the same with 24 BWGI binding wire and including necessary centering and shuttering etc and also including supply of all materials labour and T&P etc required for the proper completion of work	4868	4879	172.53	839876.04	84177 3.87	1897.83
11	RCR stone masonry laid with 1:5 cement and sand mortar in wing wall & approach wall including cost of all material, labours and T&P etc required for proper completion of work.	1797	2017	1294.5 2	2326252.4 4	26110 46.84	284794. 40
12.	RR stone masonry laid dry in approach wall. Including cost of all material labour and T&P etc. required for proper completion of work.	989	1208	391.65	387341.85	47311 3.20	85771.3 5
13	Cement plum masonry with 40 %plum and 60% CC in 1:3:6 consisting 1 cement 3 course sand and 6 approved stone ballast complete work including supply of all material labour and T&P etc required for proper completion of work	1980	2060	215.26	426214.80	44343 5.60	17220.8 0
14	Supply fittings and placing MS bar reinforcement in superstructure complete as per drawing and technical MORD specification clause 1000	4552	4563	232.46	1058157.9 2	10607 14.98	2557.06
15	Supply of fabrication of 24 mtr span steel girder bridge complete including supply of all rivets ground erection with nuts and bold, one coat of approved quality anticorrosive red oxide paint, required camber is to be ensured at the time of ground erection as per drawing and as	60293	61000	-	60293	61000	707

	per direction of engineer in charge including cost of all material labour and T&P etc required for proper completion of the work						
16	Supply and fixing of Pot/ PTFT bearing of mild steel confirming to ISI 226 specification and as per drawing including fixing anchor bolts including supply of all structural steel confirming to IS code capacity (150 tonnes) bearing should be tested quality as procedure, including supply of all material labour and T&P etc.	58500	94000	2 Nos	117000	188000	71000
17	Construction of parapet as per standard drawing attached including supply of all labour material, T&P etc required for proper completion of work as per direction of Engineer in charge	1495	1626	12 Nos	17940	19512	1572
35	Plain cement concrete with 20mm gauge stone ballast coarse sand and cement in proportion of 3:1 5:1 including supply of all material labour and T&P etc	4227	4236	1.62	6847.74	6862.32	14.58
36	Protection work by providing and layng of boulder apron laid in wire crates with 4mm dia GI wire conforming to IS280 IS4826 in 100 mm x100 mm mesh including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 kg each as per drawing and technical specification Clause 1301	4688	5855	52.50	246120	307387.50	61267.50
37	S/P of field rivets required as per drawing confirming to be specification and as per directions of engineer incharge including supply of all labour, material T&P etc required for proper completion of work	71	82	6488	460648	532016	71368
					योग ₹	**3418367.14**	

भाग दो-(ब)

प्रस्तर 4:- एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल 65 आबीमित (non-insured) कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से ₹ 103.57 लाख की कटौती नहीं किया जाना।

मानक निविदा अनुबंध(एसबीडी) का अनुच्छेद-13.4 प्रावधानित करता है कि एसबीडी में दी गई शर्ते URRDA/NRRDA की अनुमति के बिना नहीं बदली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-13.5 निर्देशित करता है कि बीमा की शर्ते विभाग और ठेकदार दोनों को माननी होंगी। अनुच्छेद-52.2(f) स्पष्ट करता है कि ठेकेदार द्वारा बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराये जाने को 'Fundamental Breach of Contract' के अंतर्गत माना जाएगा और तत्संबंधित कटौती की प्रभावी दरें अनुच्छेद-13.3 (a) & (b) मे दी गई हैं। एसबीडी का अनुच्छेद-13.6 प्रावधानित करता है कि यदि ठेकेदार द्वारा बीमा सुरक्षा के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियोक्ता द्वारा वह सुरक्षा ली जाएगी जो ठेकेदार को लेनी थी और प्रीमियम्स की कटौती ठेकेदार के लंबित बिलों से की जाएगी। यदि ठेकेदार का कोई बिल लंबित नहीं है तो कटौतियाँ उधार देयता (debt due) के रूप में बनी रहेंगी।

Table-1

S. No.	Item	Minimum cover for insurance	Maximum deductible for insurance (Phase XII-XIV)
1.	Works, Plants & Materials	Equal to contract amount	0.50% of contract amount
2.	Loss or damage to Equipment	10% of contract amount	0.25% of contract amount
3.	Other properties	5% of contract amount	0.25% of contract amount

पीएमजीएसवाई के चरण VII से XI तक बीमा कटौती की दरें निम्नवत थीं

Table-2

S. No.	Item	Minimum cover for insurance	Maximum deductible for insurance (Phase VII – XI)
1.	Works, Plants & Materials	Equal to contract amount	0.40% of contract amount
2.	Loss or damage to Equipment	10% of contract amount	0.40% of contract amount
3.	Other properties	5% of contract amount	0.40% of contract amount

इकाई की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि Letter of Acceptance मे उपरोक्त अनिवार्य प्रावधान एवं कटौती का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्तमान में पीएमजीएसवाई योजना का 14वां चरण चल रहा है। लेखापरीक्षा तक फेज VII से फेज XIV तक ₹ 250.88 करोड़ के बॉण्ड के सापेक्ष कुल 72 कार्य आच्छादित किए गए थे, जिसमे से मात्र 07 कार्यों का बीमा कराया गया अर्थात 65 कार्यों का ठेकेदार द्वारा बीमा नहीं कराया गया था। बीमा नहीं कराये गए

निर्माण कार्यों की बॉन्ड/अनुबंध लागत ₹ 206.5 करोड़ थी। नियमतः ठेकेदारों द्वारा बीमा नहीं लिए जाने के स्थिति मे ठेकेदारों के देयकों से कटौती कर नियोक्ता को निर्माण कार्यों का बीमा कराना चाहिए था जिसमे विभाग असफल रहा।

उपरोक्त कार्य-अनुबंधों पर किए जाने वाले अनिवार्य बीमा कटौतियों की गणना निम्नवत है-

Table-3

Calculation of Insurance deduction from phase VII to XIV of E.E., PMGSY(RWD/RES), Karanprayag-1

Name of Work/ Phase	original Bond Cost without maintenance cost (Rs. Lac)	deduction rate as per 13(a)(b)(1)	deduction amount as per 13(a)(b)(1) (Rs. Lac)	deduction rate as per 13(a)(b)(2)	deduction amount as per 13(a)(b)(2) (Rs. Lac)	deduction rate as per 13(a)(b)(3)	deduction amount as per 13(a)(b)(3) (Rs. Lac)	total amount of deductions (Rs. Lac)
PhaseVII (05)	1106.23	0.40% of contract amount	4.42492	0.40% of 10% of contrat amount	0.442492	0.40% of 5% of contract amount	0.221246	5.088658
Phase VIII (12)	1656.8	0.40% of contract amount	6.6272	0.40% of 10% of contrat amount	0.66272	0.40% of 5% of contract amount	0.33136	7.62128
Phase IX (3)	416.54	0.40% of contract amount	1.66616	0.40% of 10% of contrat amount	0.166616	0.40% of 5% of contract amount	0.083308	1.916084
Phase X-(10)	3044.51	0.40% of contract amount	12.178	0.40% of 10% of contrat amount	1.217804	0.40% of 5% of contract amount	0.608902	14.004746
Phase XI-(12)	3362.13	0.40% of contract amount	13.4485	0.40% of 10% of contrat amount	1.344852	0.40% of 5% of contract amount	0.672426	15.465798
Phase XII-(5)	3956.96	0.50% of contract amount	19.7848	0.25% of 10% of contrat amount	0.98924	0.25% of 5% of contract amount	0.49462	21.26866
Phase XIII-(5)	2150.14	0.50% of contract amount	10.7507	0.25% of 10% of contrat amount	0.537535	0.25% of 5% of contract amount	0.2687675	11.5570025
Phase XIV(13)	4956.96	0.50% of contract amount	24.7848	0.25% of 10% of contrat amount	1.23924	0.25% of 5% of contract amount	0.61962	26.64366
Grand Total (65)	**20650.3**		**93.665**		**6.6005**		**3.30025**	**103.5659**
Note: Rates of deduction (under Cl.13) for contractors were changed from phase-XII and onwards. Hence, the calculation also has been changed accordingly.								

उपरोक्त VII-XIV चरणों के कुल 65 कार्यों मे ठेकेदारों से उपरोक्त गणना के अनुसार कटौती नहीं किए जाने के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे स्वीकार किया कि बीमा कटौती नहीं की गई और वर्तमान में इस हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया जा रहा है। विभागीय शिथिलता के कारण आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका, जबकि प्रारम्भ से ही प्रत्येक चरण के मानक अनुबंध मे बीमा के संबंध मे स्पष्ट प्रावधान किए गए थे।

इस प्रकार एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल 65 आबीमित (non-insured) कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से ₹ 103.57 लाख की कटौती नहीं किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 5:- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ₹ 2.16 लाख का अधिक भुगतान।

छठे वेतन अयोग के शासानादेश स.395/xxxii (7) /2008 dated 17.10.2008 के दिशा निर्देश के बिन्दु स.12 (1एवं 2) के अनुसार संशोधित वेतन मे पदोन्नति दो प्रकार से हो सकती है। (1) एक ही वेतन बैड़ के अंदर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति (2) एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन मे पदोन्नति, जनवरी, 2006 को या उसके पाशचात संशोधित वेतन ढांचे मे एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे मे पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धरण, वेतन बैड मे वेतन मे अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसमे 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णाकित किया जाएगा। इस धनराशि को वेतन बैंड मे मौजुदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन मे इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन मे वेतन प्रदान किया जायेगा। जहां पदोन्ति मे बैंड मे परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति मे इसी प्रविधान के अनुसार कार्रवाही की जाएगी, तथापि प्रोनति के ठीक पूर्ण प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहां वेतन बैंड मे पदोन्नति वाले के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड मे न्यूनतम के बराबर बढा दिया जायेगा।

कर्णप्रयाग इकाई मे कार्यरत दो अपर सहायक अभियंताओ की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखो की नमूना जांच करने पर यह देखा गया कि श्री हेमन्त कुमार शाह (अ.स.अभि) की पदोन्नति दिनाक 17.3.2011 को एक वेतन वृद्धि देते हुये वेतन (11940+4200=16140) से पदोन्नति कर वेतन (11940+4800=16740) मे वेतन निर्धारण ना कर के GP-4800 के न्यूनतम (13950+4800=18750) वेतन मे निर्धारण किया गया जो की त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण दिनांक 18.3.2011 से 1.1.2015 तक वेतन एवं भत्तो पर ₹ 184800. अधिक वेतन दिया गया। (विवरण प्रापत्र 1) सलंगन है,

जांच करने पर यह भी पाया गया की श्री धीरेन्द्र सिंह (अ.स.अभि) की सेवा पुस्तिका मे दिनांक 1.1.2015 को देय वेतन (14610+4800=19410) था लेकिन वेतन का पुन; वेतन निर्धारण कर के प्रदत वेतन (16960+4800=21760) किया गया जो की नियमो के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण माह 1/2015 से माह 8/2015 तक वेतन एवं भत्तो पर रु. 31397/-.अभि) की सेवा पुस्तिका मे दिनांक 1.1.2015 को देय वेतन (14610+4800=19410) था लेकिन वेतन का पुन; वेतन निर्धारण कर के प्रदत वेतन (16960+4800=21760) किया गया जो की नियमो के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण माह 1/2015 से माह 8/2015 तक वेतन एवं भत्तो पर ₹ 31397/- अधिक भुगतान किया गया है (विवरण प्रापत्र 2) संलग्न है।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रकणो मे ₹ 216297/- धनराशि का अधिक भुगतान किये है लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पुनः जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अत: दोनों पकरणो मे ₹ 2.16 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

Shri Hemant Kumar sha
(AAE)

	Due					Drawn				Differ ence (Col.1 0-6)	Mont h/ days	
Date	**Pay**	**GP**	**DA %**	**DA**	**Total**	**Pay**	**GP**	**DA**	**Total**			**G.Total**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.3.2011	11470	4200	51%	7992	23662	11470	4200	7992	23662	0	2	0
18.3.2011	11940	4800	51%	8537	25277	13950	4800	9562	28312	3035	4	12140
1.7.2011	11940	4800	58%	9709	26449	13950	4800	10875	29625	3176	6	19056
1.1.2012	12450	4800	65%	11212	28462	14520	4800	12558	31878	3416	6	20496
1.7.2012	12450	4800	72%	12420	29670	14520	4800	13910	33230	3560	6	21360
1.1.2013	12970	4800	80%	14216	31986	15100	4800	15920	35820	3834	6	23004
1.7.2013	12970	4800	90%	15993	33763	15100	4800	17910	37810	4047	6	24282
1.1.2014	13510	4800	100%	18310	36620	15700	4800	20500	41000	4380	6	26280
1.7.14	13510	4800	107%	19592	37902	15700	4800	21935	42435	4533	6	27198
1.1.15	14060	4800	113%	21312	40172	16320	4800	24544	45664	5492	2	10984
4.3.2015	15600	5400	113%	23730	44730	15600	5400	23730	44730	0	4	0
1.7.15	15600	5400	119%	24990	45990	15600	5400	24990	45990	0	**6**	0
											Total=	**184800**
7CPC	**7CPC**	**Pay+GP as on 1.7.15=21000x2.57= 53970 says 53600**					**21000x2.57=53970 says 55200**					0
		Data Exctracted from Servic book										

Shri Dhirendra Singh (J.E)

	Due					Drawn				Difference (Col. 10-6)	Month/ days	G.Total
Date	**Pay**	**GP**	**DA %**	**DA**	**Total**	**Pay**	**GP**	**DA**	**Total**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.14	14040	4800	107%	20159	38999	14040	4800	20159	38999	0	0	0
1.1.15	14610	4800	113%	21933	41343	16960	4800	24589	46349	5006	2	10012
4.3.2015	15600	5400	113%	23730	44730	16960	5400	25267	47627	2897	5	14485
1.8.15	15600	5400	119%	24990	45990	16230	5400	25740	47370	1380	**5**	6900
											Total =	**31397**
7CPC	**7CPC**	**Pay+GP as on 1.7.15=21000x2.57= 53970 says 53600**					**21000x2.57=53970 says 55200**					0

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 6:- चार मोटर मार्गो मे कास्तकारों को ₹ 35.17 लाख के प्रतिकर का लंबित भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली वाली नापभूमि का बहिनामा रजिस्टरी किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड मे लागू) मे निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी।

इकाई के स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो / प्रस्तावो की जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित मार्गो के स्टेज 1 के कार्य भी 6 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके थे परंतु इन मार्गो मे आने वाली नाप भूमि का न तो बहिनामा रजिस्टरी की गयी है और न ही काश्तकारों को देय प्रतिकर का वितरण लेखापरीक्षा तिथि (मई 2018)तक किया गया है। विवरण निमन्वत है:

मोटर मार्ग का नाम	**प्रतिकर की देय राशि**	**मलबा दबान प्रतिकर**	**रजिस्ट्री शुल्क**	**कुल देय राशि**
सगवाड़ा पार्थकुनी मोटर मार्ग	1629500/-	29476/-	44811/-	1703787/-
कुनारबैंड से घेष मोटर मार्ग	797500/-	-----	21931.30	819431.30
लवानी से सुया मोटर मार्ग	200000/-	180855/-	5500/-	386355/-
सिमली से सन्नकोट मोटर मार्ग	428226/-	123480/-	56071/-	607777/-
			योग ₹	**3517350/-**

अभिलेखो की जांच मे यह भी पाया गया कि सिमली से सन्नकोट मोटर मार्ग मे गाँव सड़कोट के लिए प्रतिकर की गणना रु 1230300/- करने के बजाय ₹ 1190700/- अर्थात ₹ 39600/- की कम की गणना एवं मांग की गयी थी।

उपरोक्त से स्पष्ट था, कि इकाई द्वारा 4 मोटर मार्गो के संरेखण मे आने वाली वाली नापभूमि का ₹ 35,17,350.30 के प्रतिकर का भुगतान तथा बहिनामा रजिस्टरी किया जाना बाकी था।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि प्रभावित काश्तकारों द्वारा अपने राजस्व अभिलेख जमा न करने के कारण भुगतान नहीं हो पाया। पुनः धनाबंटन होने पर भुगतान किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि इकाई को प्रतिकर के भुगतान हेतु पर्याप्त बजट प्राप्त था। अमीन के माध्यम से काश्तकारों से राजस्व अभिलेख प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिये थे। लेकिन ऐसा न किये जाने के कारण जहां एक ओर इकाई को बजट समर्पित करना पड़ा वही दूसरी ओर कास्तकार ₹ 35.17 लाख का भुगतान प्राप्त किये जाने से भी वंचित रहे।

अतः ₹ 35.17 लाख के प्रतिकर भुगतान के बकाये का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- ₹ 9.84 लाख अस्थाई अग्रिम 3 से 18 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी समायोजन / वसूली न किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्ततिका खण्ड (V) के 172 के अनुसार अस्थाई अग्रिम पूर्व मे passed vouchers के सापेक्ष प्रदान किया जाता है। जिसे यथाशीघ्र समायोजित किया जाना चाहिये अस्थाई अग्रिम पंजिका एवं अभिलेखो की नमूना जांच करने पर पाया गया की माह 12/2016 से माह 3/2018 तक तक 02 सहायक अभियंताओ को कुल ₹ 9.84 लाख अस्थाई अग्रिम (TI) खोली गई थी । जिसका लेखा परीक्षा अवधि तक समायोजन नहीं किया गया। विवरण निम्नवत था -

Sr.No	Name of Employer	Date of open TI	Amount
1	Shri Hemant Kumar	28.12.16	64728
2	Shri Hemant Kumar AE	18.8.17	302390
3	Shri Sachin Kumar AE	10.1.18	288778
4	Shri Sachin Kumar AE	3.2.18	255200
5	Shri Hemant Kumar	8.3.18	73050
		Total=	984146

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ₹ 9.84 लाख का समायोजन शीघ्र ही कर लिया जायेगा। अस्थाई अग्रिम पूर्व मे passed vouchers के सापेछ प्रदान किया जाता है, जिसे 3 से 18 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी इकाई द्वारा ₹ 9.84 लाख अस्थाई अग्रिम की समायोजन/ वसूली नहीं की गयी।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग—III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग—II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग—II 'ब' प्रस्तर संख्या	**यदि हो स्टैन**,	**अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन**
82/2012-13	-	02	-	
16/2014-15	-	03	01	
161/2015-16	01	01	-	
90/2016-17	01	04	-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः **पत्रावली के बाये तरफ संलग्न है।**

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–
   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः
   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 विश्वम्भर सिंह रावत	अधिशासी अभियंता	01.10.2016 -30.11.2017
2.	ई0 प्रमोद गंगाड़ी	अधिशासी अभियंता	30.11.2017-31.03.2018

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (आरईएस), कर्णप्रयाग-01** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र